

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- भरतपुर में भगवत प्रसाद सैनी एग्रीकल्चर मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा भुसावर व उसके रिश्तेदार सोमेन्द्र कुमार सैनी को 1,50,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया

जयपुर, दिनांक 19 दिसम्बर, शुक्रवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी भरतपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए भगवत प्रसाद सैनी एग्रीकल्चर मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा भुसावर जिला भरतपुर व उसके रिश्तेदार सोमेन्द्र कुमार सैनी द्वारा पीएनबी बैंक के बाहर परिवादी से 1,50,000 रुपये (20,000 रुपये भारतीय चलन मुद्रा व 1,30,000 रुपये डमी करेन्सी) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान के महानिदेशक, श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी भरतपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी द्वारा पीएनबी शाखा भुसावर में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन (PMFME) योजना के अन्तर्गत लोन हेतु आवेदन किया था उक्त लोन को पास करने की एवज में एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी द्वारा परिवादी से 1,50,000/- रुपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज भरतपुर के उप महानिरीक्षक—पुलिस श्री राजेश सिंह के सुपरविजन में एसीबी भरतपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित सिंह द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी भगवत प्रसाद सैनी एग्रीकल्चर मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा भुसावर जिला भरतपुर व उसके रिश्तेदार सोमेन्द्र कुमार सैनी को पीएनबी बैंक भुसावर के बाहर रोड से परिवादी से 1,50,000/- रुपये (20,000/- रुपये भारतीय चलन मुद्रा व 1,30,000/- रुपये डमी करेन्सी) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपीयो से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।